न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./72/2017/बाड़मेर

अपीलांट

1. डालूराम पुत्र मानाराम उम्र 55 वर्ष
2. सोनाराम पुत्र मानाराम उम्र 51 वर्ष
3. गिरधारी पुत्र मानाराम उम्र 33 वर्ष
4. धमण्डाराम पुत्र मूलाराम उम्र 33 वर्ष जाति जाट निवासी कलासर पटवार हल्का गोलिया जैतमाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोर्डेटगण

1.खेताराम गोदपुत्र ताजाराम उम्र 47 वर्ष जाति जाट निवासी कलासर गोलिया जैतमाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2.तहसीलदार गुड़ामालानी।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 242/2016 बअनवान खेताराम बनाम डालूराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री रामजीवन विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री डालूराम चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 12.09.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 263/4 मौजा कलासर पटवार क्षेत्र गोलिया जेतमाल तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 261, 261/1, 261/2 व 261/3 प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। इसलिए रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्याय आपके द्वार अभियान मे आयोजित कोर्ट कैम्प गोलिया जैतमाल में दिनांक 26.06.2017 को अपीलकर्ता की आराजी का बिना समुचित वस्तुस्थिति का पता किये पारित किया है, अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अदालत में पत्रावली को राजीनामा हो तो निस्तारण हेतु रखी गई जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई तथा पत्रावली वास्ते जबाव व मौका रिपोर्ट प्राप्त करने में रखी थी। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि पर कभी कोई मार्ग नहीं था तथा उतरदाता संख्या 01 को अपनी जोत में आने जाने हेतु रास्ता का अन्य विकल्प मौजूद है जिसको उतरदाता अपनी जोत में आने जाने हेतु उपयोग में लेता है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एकपक्षीय व गलत बनाई गई है। मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकारान के व पड़ोसीयान के हस्ताक्षर नही है तथा न ही मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारो को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई, लेकिन तहसीलदार ने अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आराजी का मौका नहीं देखकर मौका कमिशनर की शक्तियां आगे निरीक्षक भू अभिलेख व हल्का पटवारी को हस्तान्तरित कर दी। अपीलांटगण के खेत के सेढा सेढ़ रास्ता की सुविधा हेतु अपीलांटगण द्वारा अपने खातेदारी की भूमि का रास्ता हेतु भूमि सम्पर्ण की गई है। जिसका उपयोग रास्ता के रूप में किया जा रहा है। जिस जगह पर आर आई ने प्रस्तावित मार्ग बताया गया है, वहा मौके पर अपीलकर्ता की पुरानी ढाणी बनी है। उतरदाता संख्या 01 का मूल खसरा संख्या 263 रास्ता से जुड़ा है उक्त आराजी उतरदाता संख्या 01 के सगे भाईयों की है लेकिन उतरदाता गोद गया है। तथा पत्रावली को देखने से नजदीक पडता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आंख मूद कर मूल खसरा संख्या 263 मे जाने के लिए अपीलांट की आराजी में दो रास्ते हो जाते है जिसे होने वाली भारी क्षति का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गौर किये अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट में आर आई व पटवारी ने गलत अंकित किया है कि समर्पण स्थान पर धोरा है जबकि तथ्यात्मक रिपोर्ट जानबूझकर दुराशय पूर्ण अन्य स्थान पर प्रस्तावित किया गया है जिस पर अपीलांट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्याय आपके द्वार अभियान मे आयोजित कोर्ट कैम्प गोलिया जैतमाल में दिनांक 26.06.2017 को अपीलकर्ता की आराजी का बिना समुचित वस्तुस्थिति का पता किये पारित किया है, अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अदालत में पत्रावली को राजीनामा हो तो निस्तारण हेतु रखी गई जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई तथा पत्रावली वास्ते जबाव व मौका रिपोर्ट प्राप्त करने में रखी थी। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि पर कभी कोई मार्ग नहीं था तथा उतरदाता संख्या 01 को अपनी जोत में आने जाने हेतु रास्ता का अन्य विकल्प मौजूद है जिसको उतरदाता अपनी जोत में आने जाने हेतु उपयोग में लेता है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एकपक्षीय व गलत बनाई गई है। मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकारान के व पड़ोसीयान के हस्ताक्षर नही है तथा न ही मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारो को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई, लेकिन तहसीलदार ने अपीलाधीन आराजी का मौका नहीं देखकर मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कमिशनर की शक्तियां आगे निरीक्षक भू अभिलेख व हल्का पटवारी को हस्तान्तरित कर दी। अपीलांटगण के खेत के सेढा सेढ़ रास्ता की सुविधा हेतु अपीलांटगण द्वारा अपने खातेदारी की भूमि का रास्ता हेतु भूमि सम्पर्ण की गई है। जिसका उपयोग रास्ता के रूप में किया जा रहा है। जिस जगह पर आर आई ने प्रस्तावित मार्ग बताया गया है, वहा मौके पर अपीलकर्ता की पुरानी ढाणी बनी है। उतरदाता संख्या 01 का मूल खसरा संख्या 263 रास्ता से जुड़ा है उक्त आराजी उतरदाता संख्या 01 के सगे भाईयों की है लेकिन उतरदाता गोद गया है। तथा पत्रावली को देखने से नजदीक पडता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आंख मूद कर मूल खसरा संख्या 263 मे जाने के लिए अपीलांट की आराजी में दो रास्ते हो जाते है जिसे होने वाली भारी क्षति का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गौर किये अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट में आर आई व पटवारी ने गलत अंकित किया है कि समर्पण स्थान पर धोरा है जबकि तथ्यात्मक रिपोर्ट जानबूझकर दुराशय पूर्ण अन्य स्थान पर प्रस्तावित किया गया है जिस पर अपीलांट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 263/4 मौजा कलासर पटवार क्षेत्र गोलिया जेतमाल तहसील गुड़ामालानी में आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। वक्त बहस रास्ते के विकल्प को अपीलांट पक्ष द्वारा मौके पर उनके द्वारा खसरा संख्या 258 की सीमा के साथ-साथ खसरा संख्या 263 तक समर्पित भूमि उपलब्ध है जिसको रास्ते के रूप में उपयोग में लिया जाना बताया। मौका रिपोर्ट में भी इस विकल्प वाली भूमि पर धोरा(टीला) होना मौका रिपोर्ट में उल्लेखित नहीं है परन्तु अपील में अपीलांट ने इसका उल्लेख रिपोर्ट में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

होना बताया है जो सरासर गलत कथन है। भू अ निरीक्षक श्री हनुमानसिंह एवं पटवारी हल्का गोलिया जेतमाल से ली गई पुख्ता विश्वसनीय एवं निष्पक्ष जानकारी के अनुसार समर्पण की गई भूमि पर रेतीले धोरे विद्यमान है जिसमें से आदिनांक रास्ता नहीं है। यह समर्पित भूमि दुर्गम है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय उभयपक्ष की उपस्थिति और मज्मे आम कोर्ट कैम्प गोलिया जेतमाल में उनको सुना जाकर मौके पर ली गई तथ्यपरक जानकारी के आधार पर पारित किया है। इसलिए इसमें पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदत किया जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना की जानी पाई गई है। अपीलांट पक्ष द्वारा बताये विकल्प को चुनने से प्रार्थी/रेस्पोडेंट का रास्ते प्राप्ति का मकसद हल नहीं हो पाएगा और वह विधि द्वारा प्रदत्त रास्ते के अधिकार से वंचित हो जाएगा। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट (दिनांक 01.05.2017) मुताबिक प्रार्थी/रेस्पोडेंट को कटाण सड़क तक पहुंचने हेतु प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होना प्रतिवेदित है। रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है यह सुस्पष्ट है। **इस रिपोर्ट के संलग्न नक्शा ट्रेस में बरंग केसरिया से रास्ता दर्शित किया गया है जो अन्य कोई उपयुक्त व सुगम रास्ते का विकल्प उपलब्ध नहीं होने से सही है।** यही रास्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में प्रार्थी को प्रदत्त किया है इसमें **बाद परीक्षण कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है लिहाजा इसे यथावत रखा जाना उचित है।**

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 242/2016 बअनवान खेताराम बनाम डालूराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.06.2017 को यथावत रखा जाता है। अपीलार्थी पक्ष ने प्रार्थी के रास्ते को मौके पर जानबूझकर अवरूद्ध कर रखा है इसलिए तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है कि वह राज हक में दर्ज रिकॉर्ड रास्ता ग्राम कलासर खसरा संख्या 261/9, 261/10, 261/11, 261/12 रकबा क्रमशः 03, 04, 04, 04 बिस्वा कुल रकबा 0.15 बीघा मौके पर जाकर रास्ता खुलवाए और आवागमन हेतु चालू करके सुचारू रखे।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner